D.Y.No:- 1119
D.T:- 24/2/25

कार्यालय सहायक निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उ0प्र0 शासन, गौतमबुद्ध नगर जोन.

ई–204, सेक्टर–2, ग्रेटर नोएडा (वेस्ट), गौतमबुद्धनगर।

संख्याः 3895 स0नि0 / वि0सु0 / गौ0बु0न0 जोन / निरी0 / 2024–25 दिनांकः– 18/2/2025

सेवा में,

अध्यक्ष / उपाध्यक्ष / सचिव
केन्द्रीय विहार–02, सोसाइटी, प्लाट नं0–3, सेक्टर–82, नोएडा, जिला–गौतमबुद्धनगर।

विषयः– केन्द्रीय विहार–02, सोसाइटी, प्लाट नं0–3, सेक्टर–82, नोएडा, जिला–गौतमबुद्धनगर में अधिष्ठापित लिफ्टो के जॉच के सम्बन्ध में।

महोदय,

1:– उक्त सोसाइटी में 120 नं0 लिफ्ट अधिष्ठापित थी प्रारम्भिक लिफ्ट अधिष्ठापन के प्रारम्भिक निरीक्षण से अब तक नियतकालिक निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से समस्त अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया अथवा नही यदि हॉ तो वर्ष के अनुसार कमशः सभी अनापत्ति प्रमाण पत्र की छाया प्रति उपलब्ध कराये।

2:–पूर्व में अधिष्ठापित 120 नं0 लिफ्ट (96 नं0 OTIS company+24 नं0 थाइसन कप) को किस आधार पर परिवर्तित किया जा रहा है? (1) क्या सम्बन्धित कम्पनी से अनुपयुक्त प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया था यदि हॉ तो छाया प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें यदि नही तो क्यो नही लिया गया।

3:–निविदा में किस आधार पर ई0सी0ई0 कम्पनी को निविदा आवंटन किया गया, निविदा की सम्पूर्ण विवरण साक्ष्यों सहित एक प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

4:–सोसायटी के सम्मानित निवासीगण द्वारा आरोप है कि L1(न्यूनतम टेन्डर धनराशि) को छोड़कर L2 को निविदा आवंटित किया गया जिसके सम्बन्ध में साक्ष्यों सहित अपना स्पष्टीकरण दें।

5:–क्या निविदा आवंटन होने के उपरान्त सम्बन्धित कम्पनी ई0सी0ई0 से Quality/Testing Report ली गयी थी अथवा नही यदि हॉ तो साक्ष्य उपलब्ध कराने की कृपा करे यदि नही तो क्यो नही लिया गया।

6:–लिफ्ट के अधिष्ठापन में जनमानस के लिए किन–किन बिन्दुओ पर (निविदा में) ध्यान दिया गया बिन्दुवार उपलब्ध कराने की कृपा करे।

7:–क्या पूर्व में आवंटित कम्पनी के प्रचालन या अनुरक्षण में कोई कमिया थी जिसे बदलने की आवश्यकता थी यदि हॉ तो बिन्दुआर विवरण दे और नही तो क्यो बदला गया।

8:–क्या आप द्वारा ई0सी0ई0 कम्पनी से सुरक्षा, गुणवत्ता व किसी अप्रिय स्थिति से सम्बन्धित शपथ पत्र प्राप्त किया गया है। यदि हॉ तो छाया प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

उपरोक्त आपत्तियो के सम्बन्ध में अपना स्पष्ट आख्या साक्ष्यो सहित एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करने का कष्ट करें। अन्यथा किसी भी अप्रिय स्थिति के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

भवदीय,

(इं0 रमेश कुमार)
सहायक निदेशक
विद्युत सुरक्षा उ0प्र0 शासन
गौतमबुद्धनगर जोन, गौतमबुद्धनगर।

संख्या स0नि0 / वि0सु0 / गौ0बु0न0जोन / निरी0 / 2024–25 तददिनांकः–

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ सादर प्रेषित हैः–

1:– अपर जिलाधिकारी महोदय, जिला–गौतमबुद्धनगर।
2:– निदेशक, विद्युत सुरक्षा उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3:– उपनिदेशक विद्युत सुरक्षा उ0प्र0 शासन, गाजियाबाद रीजन, गाजियाबाद।
4:–उप जिलाधिकारी महोदया, दादरी, जिला–गौतमबुद्धनगर।

(इं0 रमेश कुमार)
सहायक निदेशक
विद्युत सुरक्षा उ0प्र0 शासन
गौतमवुद्धनगर जोन, गौतमबुद्धनगर।

हम केन्द्रीय विहार-2 के निवासी बयान करते हैं कि,

1. केन्द्रीय विहार-2 एक ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी है, जिसका निर्माण केन्द्र सरकार के अधीन CGEWHO द्वारा केन्द्रीय सरकार में कार्यरत कर्मचारियों के लिए किया गया है। सोसाइटी के 120 ब्लाकों में दुनिया की सर्वोत्तम लिफ्टें, 96 ओटिस कंपनी और 24 थाइसनक्रुप कंपनी की लगी हैं, जो महज 15-20 साल पुरानी हैं और सभी चालू अवस्था में हैं, जिन्हें बदल कर सोसाइटी के प्रबंधन बोर्ड द्वारा अब तीसरे दर्जे की ईसीई कंपनी की घटिया लिफ्टें लगाई जा रही हैं।

2. पुरानी सभी लिफ्टें Serviceable हैं तथा चालू अवस्था में हैं। इनको निर्माता कंपनियों अथवा किसी सरकारी संस्था से Unserviceable certificate लिए बिना ही सभी लिफ्टों को बदला जा रहा है।

3. लिफ्टों को बदलने के लिए प्रबंधन बोर्ड द्वारा दो बोली प्रणाली में निविदाएं आमंत्रित की गईं, अक्तूबर 2023 में। कुल चार निविदाएं प्राप्त हुईं, जिसमें Johnson कंपनी की निविदा उनके द्वारा EMD जमा नहीं कराने के कारण नहीं खोली गई। बाकी बची 3 निविदाओं में से निम्नतम बोलीदाता को छोड़ कर द्वितीय निविदाकार, ईसीई कंपनी, को निम्नतम बोलीदाता से लगभग 5 करोड़ रुपए अधिक में कार्य अवार्ड कर दिया गया। हम सभी निवासियों को संदेह है कि प्रबंधन बोर्ड द्वारा इस कार्य को अवार्ड करने के लिए ईसीई कंपनी (बिरला ग्रुप) से भारी-भरकम कमीशन/रिश्वत ली गई है। विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि प्रबंधन बोर्ड की अध्यक्ष के सोसाइटी में स्थित भारतीय स्टेट बैंक में खोले गए खाते में भी बिरला ग्रुप द्वारा बड़ी धनराशि Transfer की गई है, जिसकी जाँच करना अति आवश्यक है।

4. प्रबंधन बोर्ड ने दिनांक 03-12-2023 को की गई अपनी 15 वीं मीटिंग में पहले यह तय किया कि सभी निविदाओं को विशेष आम सभा के समक्ष अन्तिम निर्णय लेने हेतु रखा जाएगा। परन्तु आश्चर्यजनक रूप से दिनांक 16-12-2023 को की गई अपनी 16 वीं मीटिंग में लिफ्ट कमेटी की अनुशंसा पर द्वितीय निविदाकार, ईसीई कंपनी, को कार्य अवार्ड करने हेतु अपनी मुहर लगा दी तथा चालाकी से मामले को विशेष आम सभा में अन्तिम निर्णय के लिए ले जाना तय किया। जबकि विशेष आम सभा को भी यह अधिकार नहीं है कि वह नियम और कानून से ऊपर उठ कर काम करे। सोसाइटी के बाइ-लाज के अनुसार प्रबंधन बोर्ड के 10 सदस्यों के अलावा किसी भी अन्य कमेटी का प्रावधान नहीं है। प्रबंधन बोर्ड द्वारा लिफ्ट कमेटी का गठन नियमों से हट कर केवल खानापूर्ति और अपने गलत निर्णयों पर परदा डालने के उद्देश्य से किया गया।

5. दिनांक 24-12-2023 को विशेष आम सभा बुलाई गई, जिसमें कुल 2276 सदस्यों में से केवल 137 सदस्य उपस्थित दिखाए गए। विशेष आम सभा में षड़यन्त्र रूप की 24 स्वचालित दरवाजों सहित लिफ्टों को भी बदलने का निर्णय लिया गया, जबकि प्रबंधन बोर्ड पहले ही अक्टूबर 2023 में इनके लिए भी निविदाएं आमंत्रित कर चुका था। विशेष आम सभा में बहुत से सदस्यों ने कार्य हेतु निविदाएं दुबारा से आमंत्रित करने के लिए कहा, क्योंकि प्रथम और द्वितीय निविदाओं में अन्तर बहुत ज्यादा लगभग 5 करोड़ रुपए का था। परन्तु, प्रबंधन बोर्ड ने उन सदस्यों को अनसुना कर दिया तथा पहले से तय अपने निर्णय में छलपूर्वक विशेष आम सभा की मुहर लगा ली। सोसाइटी के एक जागरूक सदस्य ने इसकी शिकायत डिप्टी रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार सोसाइटीज, जिलाधिकारी एवं पुलिस आयुक्त को की, जिस पर कार्यवाही करते हुए रजिस्ट्रार कार्यालय ने दिनांक 05-02-2024 को एक पत्र डिप्टी रजिस्ट्रार को प्रेषित किया, जिस पर डिप्टी रजिस्ट्रार कार्यालय ने कोई कार्यवाही नहीं की।

6. ईसीई कंपनी को माननीय उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश द्वारा मई 2023 में दिए गए आदेशों के अनुसार ब्लैक लिस्ट ठहराया गया है। यह सूचना प्रबंधन बोर्ड द्वारा दिनांक 24-12-2023 को आयोजित विशेष आम सभा से छुपा ली गई।

7. ईसीई कंपनी द्वारा लगाई जा रही लिफ्टें घटिया क्वालिटी की हैं तथा पुरानी लिफ्टों के मुकाबले बहुत ही हल्का माल लगाया जा रहा है। लिफ्टों में जंग लगा सामान लगाया जा रहा है, मोटर बहुत ही हल्की क्वालिटि की, जो कि SHARP कंपनी की है और BIS certified नहीं है। अन्य सामान भी sub-standard लगाया जा रहा है। जो लिफ्ट 5 यात्रियों के लिए है, उसमें 3 व्यक्ति से अधिक नहीं आ सकते। नई लगाई जा रही लिफ्टें दिव्यांग अनुकूल भी नहीं हैं। इनमें व्हीलचेयर के साथ एक सहायक के खड़े होने की जगह भी नहीं है।

8. ईसीई कंपनी द्वारा लगाई जा रही नई लिफ्टों में शुरुआत से ही शिकायतें आ रही हैं, निवासी इनका उपयोग करने में डर रहे हैं।

9. ईसीई कंपनी द्वारा लिफ्ट बदलने का कार्य उत्तर प्रदेश लिफ्ट एवं एस्केलेटर्स एक्ट 2024 के नियमों के अनुसार नहीं किया जा रहा है।

10. ईसीई कंपनी द्वारा नई लगाई जा रही लिफ्टों को किसी भी सरकारी कार्यालय द्वारा जारी सुरक्षा प्रमाण-पत्र हासिल किए बिना ही चालू किया गया है, जो कि सोसाइटी के निवासियों की जान से खिलवाड़ करने की अनुचित कार्यवाही है।

11. ईसीई कंपनी द्वारा लगाई जा रही नई लिफ्टों की खराब गुणवत्ता को देखते हुए यह आशंका जताई जा रही है कि भविष्य में इन लिफ्टों के कारण कोई बड़ा हादसा हो सकता है।

12. माननीय न्यायालय उपजिलाधिकारी (न्यायिक) दादरी के आदेश दिनांक 17-01-2025 द्वारा प्रबंधन बोर्ड का दिनांक 25-02-2024 को किया गया चुनाव निरस्त कर दिया गया है, जो कि ओटिस जैसी कंपनी की चालू लिफ्टों को ईसीई जैसे तीसरे दर्जे के लिफ्ट निर्माता से बदलने का इतनी जल्दबाजी में निर्णय लेने का दोषी है।

उपरोक्तानुसार, हम सभी निवासी यह मांग करते हैं कि सभी 120 लिफ्टों को बदलने के कार्य में की गई बड़ी धांधली के लिए जिम्मेदार प्रबंधन बोर्ड के सदस्यों तथा इनके साथ मिली-भगत कर घटिया लिफ्टों को लगाने वाली ईसीई कंपनी के विरुद्ध एफ.आई.आर दर्ज कर सख्त से सख्त कार्यवाही करने की कृपा करें। इसके अतिरिक्त तीसरे दर्जे की ईसीई कंपनी के स्थान पर किसी प्रथम दर्जे की कंपनी की लिफ्टें लगाने की कृपा करें, ताकि सोसाइटी के निवासियों के साथ-साथ अन्य उपयोग कर्ताओं की भी जान माल की सुरक्षा हो सके।

क्रम सं	नाम	फ्लैट सं.	मो.न.	हस्ताक्षर
1	मनोज कुमार	सी-224, पाकेट-7	9377848747	[signature]
2	विवेका नन्द पाठक	सी-1-5 पाकेट-7	9818366733	[signature]
3	NISHANT TYAGI	C-48 POCKET-7	9971580044	[signature]
4	KAPIL MADAAN	C-8 POCKET-1	9910095544	[signature]
5	RADHEY SHARMA	B-5, P-1	9717454772	[signature]
6	S. D. Choudhury	B-243, P-1	9810632961	[signature]
7	डॉ. रमेश चन्द्र उपाध्याय	C-4/II	9873288903	[signature]
8	K.K. VARMA		9868142232	[signature]
9	Inder M. Kaushal	B-235/1	9810072987	[signature]
10	HARI MAITHANI	B-44/1	9990925111	[signature]
11	Om Parkash Parmar	B-269/2	9971385119	[signature]
12	अरविन्द कुमार भाटिया	C-12/P-7	9999244384	[signature]
13	देवेन्द्र कुमार सिंह	B-13/P-4	9953881011	[signature]
14	सेना दीपक रावत	B-14/P-4	7703918400	[signature]
15	सिंह सिंह	B-10/P-4	9311406144	[signature]

क्रम सं.	नाम	फ्लैट सं.	मो.न.	हस्ताक्षर
16	श्यामा प्रसाद दत्ता	बी-236/जी-1	9810721167	[signature]
17.	लाजपत राय मल्होत्रा	बी-10/1	9811660621	[signature]
18.	DR. MOHD AZEEM KHAN	B-204/I	9911393796	[signature]
19.	Amar Sarin	B-53/1	9873056969	[signature]
20.	PRABIR BHATTACHARYA	C-179/7	9870567094	[signature]
21.	B.K. Gupta	C-54/2	9650995004	[signature]
22.	Balraj Singh	C-126/1	8130388311	[signature]
23.	Sunil Sharma	B-162/1	9868899045	[signature]
24.	Gurmeet Singh	C-6/I	9818712718	[signature]